

FORM No. III

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खण्डेला (सीकर)

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खण्डेला (सीकर)

लय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

जगन्नाथ बनाम श्रीमिथानी तहसीलदार खण्डेला
मा दावा मुकदमा नं. 178 सन् 2019

म	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>11/10/19 वकील वादी श्री ससन्त कुमार वर्मा ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। साथ दर्ज रजिस्टर डिप। जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिर तम्भन की जाकर पत्रावली 15-10-19 आज ही पेश है। Dr</p>	<p>4145 11/10/19</p>
	<p>15-10-19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा पत्रावली वास्तु जरिर कार्यवाही हेतु दिनांक 18-10-19 को पेश है। Dr</p>	
	<p>18/10/19 पत्रावली चेन्नै हुई। वकील वादी उपर। प्रतिवादी की तामील शर्त में सम्पन्न रूप से होकर लौटी है। वापस तम्भन तामील प्रतिवादी की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एड-पट्टीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकल में बहान वकील वादी पुन्नी गई। गौतने बहान वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तब्बों को दोहराते हुए मुताबिक अनुलोच दावा डिप्ली करमाया जाने का निवेदन किया। Dr</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राज-
स्व रेकार्ड, पेशाशुदा दातावेजार का अंग-
लौकन डिपा गवा जिनने बाद गरी स्वीकार
डिपा जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा
पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली
डिपा गवा। पत्रावली केसल सुमार पत्रावली
नम्बर से कम हो तथा बाद लक्ष्मीन दाकिल
पफ्तन हो। निर्णय पुले न्यायालय में पुनाफा
गवा।



उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)